उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या- 70/2019/854/41-2019-87(बजट)/2017

लखनऊ दिनांक 27 फरवरी, 2019

शासनादेश संख्या-189/2018/3626/41-2018-87(बजट)/2017 दिनांक 12 दिसम्बर,2018

का शुद्धि पत्र

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड-बॉसगॉव के ग्राम ठठठर में स्थित समयमाता मन्दिर के निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-189/2018/3626/41-2018-87(बजट)/2017 दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू०50,00,000.00 (रूपये पचास लाख मात्र) को व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन के क्रमांक-4 पर मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ अंकित किया गया है। प्रदेश के कोषागारों में ई-कुबेर प्रणाली प्रारम्भ होने से ड्राफ्ट जारी होने की प्रक्रिया/व्यवस्था समाप्त हो गयी है, जिस कारण निर्गत धनराशि का आहरण नहीं हो पा रहा है। प्रश्नगत परियोजना हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-708/ग्रा.अ.वि./नियो0-जांच/पर्यटन/पत्रा0/18-19, दिनांक 08 फरवरी, 2019 के क्रम में महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 द्वारा अपने पत्र संख्या-7333/6-1-1(1(910)/2018, दिनांक 18 फरवरी, 2019 द्वारा उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन में मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर को प्रतिलिपि करने की अपेक्षा विषयक संशोधन शुद्धि पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः शासनादेश संख्या-189/2018/3626/41-2018-87(बजट)/2017 दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 के पृष्ठांकन के क्रमांक-4 पर अंकित मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर पढ़ा जाय। शासनादेश दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 70/2019/854(1)/41-2019-87(बजट)/2017 दिनांक 27 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ ।
8- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल गोरखपुर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल ।

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in